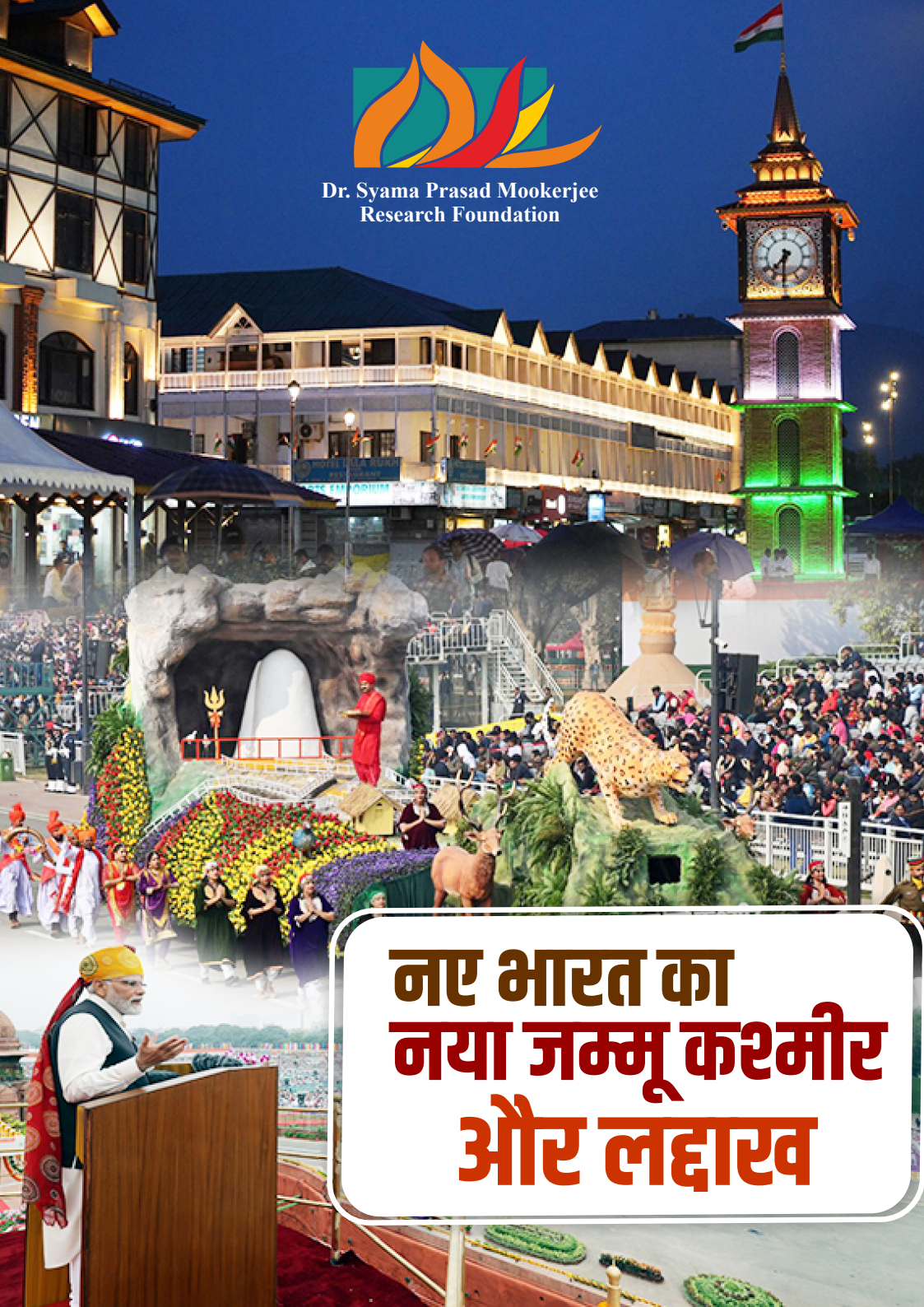

Dr. Syama Prasad Mookerjee
Research Foundation

नए भारत का नया जम्मू कश्मीर और लद्दाख

Research Team

Abhay Singh

Research Associate
Dr Syama Prasad Mookerjee Research Foundation

Manujam Pandey

Research Associate
Dr Syama Prasad Mookerjee Research Foundation

Design

Ajit Kumar Singh

Dr. Syama Prasad Mookerjee Research Foundation

9, Ashoka Road, New Delhi- 110001

Web :- www.spmrf.org, E-Mail: office@spmrf.org,

@spmrfoundation

Phone:011-69047014

विषय सूची

1.	भूमिका	1
2.	वक्तव्य अंश	3
3.	सियासत से आतंकियों तक, निवेश से कारोबार, चार सालों में बदला जम्मू-कश्मीर - **प्रीति गुप्ता**	19
4.	बदलाव की राह पर तेजी से बढ़ रहा जम्मू-कश्मीर - **पीयूष द्विवेदी**	24
5.	नए भारत में विकास कि ओर अग्रसर जम्मू-कश्मीर - **अजय धवले**	28
6.	नए भारत का नया जम्मू कश्मीर - **डॉ दिलीप अग्निहोत्री**	33
7.	कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त हुए चार साल पूरे, तब से अब तक शिक्षा, रोजगार, पर्यटन, राजनीति, व्यापार सहित कई क्षेत्रों में हुए बड़े बदलाव, आया सकारात्मक सुधार - **नवोदित सक्तावत**	37

भूमिका

जम्मू कश्मीर और लद्दाख में विकास के नए युग की शुरुआत हुई है और वह विकास शान्ति के रास्ते पर चल पड़ा है. चार वर्ष पूर्व 'एक भारत-श्रेष्ठ भारत' की अवधारणा को तब और मजबूती मिली जब छह दशक की दूरी को कम करते हुए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व वाली सरकार ने विकास की दौड़ में पीछे छूट रहे जम्मू कश्मीर और लद्दाख से अनुच्छेद 370 को निष्प्रभावी बनाया. बीते चार वर्षों में ही यह क्षेत्र देश के अन्य हिस्सों के साथ विकास के पथ पर तेजी से अग्रसर है और अब यहाँ के 1.39 करोड़ नागरिक मजबूत इरादों के साथ परिवर्तनकारी सुधारों की नई गाथा लिख रहे हैं.

प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी के नेतृत्व में नए भारत की सोच, हर नीति और रणनीति, जनकल्याण से राष्ट्र-कल्याण की है. दूरगामी सोच के साथ ऐतिहासिक भूल को सुधार कर जम्मू कश्मीर और लद्दाख को भारत की विकास यात्रा में शामिल किया गया है. पहले जिन युवाओं के हाथों में पत्थर थे, अब उनके हाथों में लैपटॉप दिख रहा है. कंकड़ की जगह किताब लेकर पढ़े लिखे युवा न केवल जम्मू कश्मीर, लद्दाख की बल्कि देश का भविष्य भी संवार रहे हैं.

कांग्रेस की सरकार 2004 से 2014 के बीच थी जिसमें 7327 आतंकी घटनाएं हुईं और पिछले 9 सालों में 2350 आतंकी घटनाएं हुईं. कांग्रेस की सरकार में 2056 नागरिकों की मौत हुई वहीं मोदी सरकार के 9 वर्षों में आतंकी घटनाओं में 70 प्रतिशत की कमी आई और 377 नागरिकों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई. अनुच्छेद 370 हटने के बाद पिछले 47 महीनों में हड़ताल और बंद की सिर्फ 32 कॉल आई तो वहीं पत्थरबाजी की घटनाओं में 90 प्रतिशत की कमी आई है.

मोदी सरकार ने जम्मू कश्मीर और लद्दाख के आर्थिक विकास के लिए विभिन्न इंडस्ट्रियल पालिसी, फिल्म के लिए नई पालिसी, टूरिज्म, होम स्टे आदि के लिए

नई पालिसी बनाई जिसके परिणामस्वरूप राज्य में निवेश और पर्यटकों में लगातार वृद्धि हो रही है.

हाल ही में जम्मू कश्मीर में जी-20 सम्मेलन का सफल आयोजन किया गया. यहाँ से कई देशों के नेता कश्मीर के अच्छे टूरिज्म का सन्देश लेकर गए जिससे समग्र विश्व में कश्मीर में सुधरे हुए हालात का सन्देश पहुंचा है.

निःसंदेह डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान, हौसले और संकल्प के कारण ही जम्मू कश्मीर भारत के साथ जुड़ा हुआ है. यह डॉ. मुखर्जी ही थे जिन्होंने अनुच्छेद 370 को शामिल करने के प्रस्ताव के विरोध में 1953 में देश के उद्योग मंत्री के पद से इस्तीफ़ा दे दिया और कहा कि देश में दो विधान, दो निशान, दो प्रधान नहीं चलेंगे.

अब जब नए भारत में नए जम्मू कश्मीर और लद्दाख का निर्माण हो रहा है तब आम भारतीय उस परिवर्तन को महसूस करे, इसके लिए डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन की ओर से यह ई-बुकलेट प्रकाशित करने का निर्णय लिया है. इस ई-बुकलेट में अपना लेखकीय सहयोग देने वाले सभी लेखकों का हम आभार व्यक्त करते हैं.

डॉ. अनिर्बान गांगुली
चेयरमैन - डॉ श्यामा प्रसाद मुखर्जी रिसर्च फाउंडेशन, नई दिल्ली

वक्तव्य अंश

मेरे प्यारे देशवासियों, एक राष्ट्र के तौर पर, एक परिवार के तौर पर, आपने, हमने, पूरे देश ने अनुच्छेद 370 को हटाने का ऐतिहासिक फैसला लिया। एक ऐसी व्यवस्था, जिसकी वजह से जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के हमारे भाई-बहन अनेक अधिकारों से वंचित थे, जो उनके विकास में बड़ी बाधा थी, वो अब दूर हो गई है। जो सपना सरदार पटेल का था, बाबा साहेब अंबेडकर का था, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी का था, अटल जी और करोड़ों देशभक्तों का था, वो अब पूरा हुआ है। जम्मू-कश्मीर और लद्दाख में एक नए युग की शुरुआत हुई है। अब देश के सभी नागरिकों के हक भी समान हैं, दायित्व भी समान हैं। मैं जम्मू-कश्मीर के लोगों को, लद्दाख के लोगों को और प्रत्येक देशवासी को बहुत-बहुत बधाई देता हूं।

श्री नरेन्द्र मोदी
प्रधानमंत्री

मुझे गर्व है कि मैं एक ऐसे संगठन का सदस्य हूँ जिसने हमेशा कश्मीर को भारत का अभिन्न अंग बनाए रखने के लिए संघर्ष किया. डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी ने इसके लिए अपना सर्वस्व अर्पण किया. अनुच्छेद 370 को समाप्त करना डॉ. श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को सच्ची श्रद्धांजलि है. इस संघर्ष की यात्रा में भागीदार बने सभी कार्यकर्ताओं को, राष्ट्रभक्तों को बधाई.

श्री अमित शाह
गृहमंत्री

संविधान के अनुच्छेद 370 एवं 35ए को निरस्त करने के ऐतिहासिक निर्णय एवं उपलब्धि के लिए आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी, आदरणीय गृहमंत्री श्री अमित शाह जी एवं इस फैसले का समर्थन करने वाले सभी संसद सदस्यों को हृदय से कोटि-कोटि धन्यवाद!

श्री जगत प्रकाश नड्डा
राष्ट्रीय अध्यक्ष – भाजपा

ऊर्जा क्षमता का विस्तार

20 हजार मेगावाट बिजली उत्पादन की क्षमता वाला जम्मू कश्मीर राज्य है लेकिन पिछले 70 वर्षों में केवल 3500 मेगावाट के उत्पादन तक ही पहुँच सका. इसके पीछे देश में लम्बे समय तक शासन करने वाली कांग्रेस की नीतियां जिम्मेदार रही हैं. प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के नेतृत्व में लगातार हो रहे परिवर्तन के क्रम में सरकार ने यह लक्ष्य तय किया है कि 2025-26 तक 3050 मेगावाट की क्षमता वृद्धि और की जाएगी.

- पिछले तीन वर्षों में बिजली उत्पादन की क्षमता दोगुनी हो गई है.
- इसके साथ ही 12.45 लाख से अधिक उज्ज्वला के तहत गैस कनेक्शन दिए गए.
- उजाला और सौभाग्य योजना के तहत 100 फ़ीसदी का कवरेज

हर घर नल से जल

23 हजार 160 ग्रामीण स्कूल, 24 हजार 164 आंगनबाड़ी केंद्र, 3324 स्वास्थ्य केंद्र तक नल से जल पहुँचाया गया.

- 18.67 लाख ग्रामीण परिवारों में 100 फ़ीसदी नल जल कनेक्शन चालू

आतंकवाद की कमर टूटी

कांग्रेस की सरकार में 2004 से 2014 के दौरान 10 वर्षों में 7327 आतंकवादी घटनाएं हुईं और 2056 नागरिक मारे गए. 2014 से 2023 तक पिछले 9 वर्षों में करीब 70 फीसदी की कमी के साथ 2350 आतंकी घटनाएं हुईं और 377 नागरिकों की दुर्भाग्यपूर्ण मौत हुई. अनुच्छेद 370 हटने के बाद पिछले 47 महीनों में हड़ताल और बंद की सिर्फ 32 कॉल आई तो वहीं पत्थरबाजी की घटनाओं में 90 प्रतिशत की कमी आई है.

आज जम्मू कश्मीर में रिकॉर्ड समय में पूरी हो रही हैं परियोजनाएं

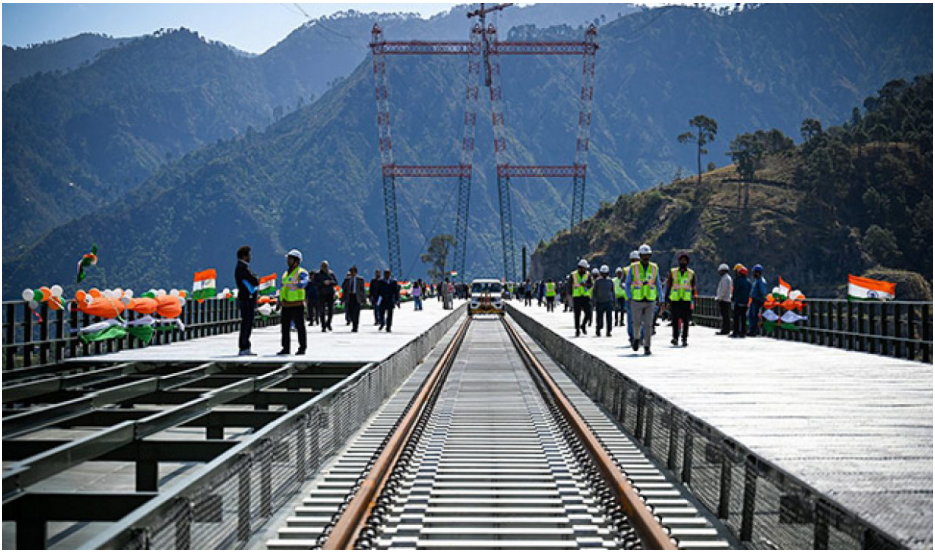

वर्ष 2019-20 में 12 हजार 637 परियोजनाएं, वर्ष 2020-21 में 21 हजार 943 परियोजनाएं, वर्ष 2021-22 में 50 हजार 276 परियोजनाएं और वर्ष 2022-23 में 92 हजार 560 परियोजनाएं पूर्ण हुईं. इस प्रकार पूर्ण हुई परियोजनाओं की संख्या एक वर्ष में दोगुनी हुई.

- औद्योगिक विकास की निरंतरता : 2 हजार 153 करोड़ रूपए के निवेश का प्रस्ताव वित्तीय वर्ष 2022-23 में अमल में लाया गया.
- 73 हजार 376 करोड़ करोड़ रूपए के निवेश का प्रस्ताव प्राप्त, 3.5 लाख नागरिकों के लिए रोजगार का अवसर.
- 500 करोड़ रूपए का एफडीआई, एमएसएमई सेक्टर के निर्यात में 54 फ़ीसदी की बढ़ोत्तरी.

वित्तीय प्रबंधन में अभूतपूर्व पारदर्शिता

Finance Department

Government of Jammu & Kashmir

सभी कार्यों के लिए ई-टेंडरिंग अनिवार्य, जियो टैगिंग और 100 फ़ीसदी प्रमाणन, जनता की योजना, जनता की भागीदारी के लिए सशक्तिकरण पोर्टल जिसमें कोई भी नागरिक किसी भी चल रहे प्रोजेक्ट की पूरी जानकारी हासिल कर सकता है.

- प्रधानमंत्री विकास पैकेज (पीएमडीपी) के तहत जून 2018 तक केवल 7 परियोजनाएं पूरी हुई थी, लेकिन अब मई 2023 तक 32 परियोजनाएं पूरी हुईं. 13 परियोजनाएं 2023-24 तक और 8 परियोजनाएं 2024 के बाद पूरी होंगी. ये 53 परियोजनाएं 58 हजार 477 करोड़ रूपए के लागत की है.

आधारभूत संरचना का विकास

ऊधमपुर-श्रीनगर-बारामूला रेल लिंक प्रोजेक्ट पर विश्व का सबसे बड़ा रेलवे ब्रिज – चेनाब ब्रिज

- 8.45 किमी ट्विन ट्यूब काजीकुंड-बनिहाल टनल पूरा, इसको मिलाकर 3 हजार 117 करोड़ रूपए की लागत से बनने वाली कई टनल का काम जारी.
- प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत लगभग 18 हजार किमी लम्बी सड़क की 2,967 परियोजनाएं पूरी, हर गाँव तक सड़क पहुंची.
- जम्मू शहर को जाम से मुक्त करने के लिए 58 किमी सेमी रिंग रोड का कार्य लगभग पूरा हो चुका है.
- बेहतर सड़क इन्फ्रा के कारण जम्मू किश्तवाड़ की यात्रा का समय 7.5 घंटे से घटकर 5 घंटे, जम्मू-डोडा से 5.5 घंटे से 3.5 घंटे, श्रीनगर जम्मू से 7-12 घंटे से 5.5 घंटे और श्रीनगर गुलमर्ग 3 घंटे से 1.5 घंटे रह गए.
- लाइट मेट्रो रेल परियोजना तैयार, 7,942 करोड़ रूपए की लागत वाली परियोजना के लिए डीपीआर तैयार और संबंधित मंत्रालय को सौंपा गया.
- 1,125 करोड़ रूपए का आवंटन, 6 लेन दिल्ली-अमृतसर-कटरा एक्सप्रेसवे के जम्मू-कश्मीर के हिस्से वाले 130 किमी के लिए, दिल्ली से कटरा अब केवल 5 घंटे में.
- रोड, ब्रिज, 220 केवी की श्रीनगर-लेह ट्रांसमिशन लाइन और करीब ढाई सौ किमी हाई और लो वोल्टेज ट्रांसमिशन लाइन बिछाने के साथ ही 60 हजार से अधिक स्मार्ट मीटर, बिजली आपूर्ति को लेकर लगाए जा रहे हैं.

सुशासन का पर्याय जम्मू कश्मीर

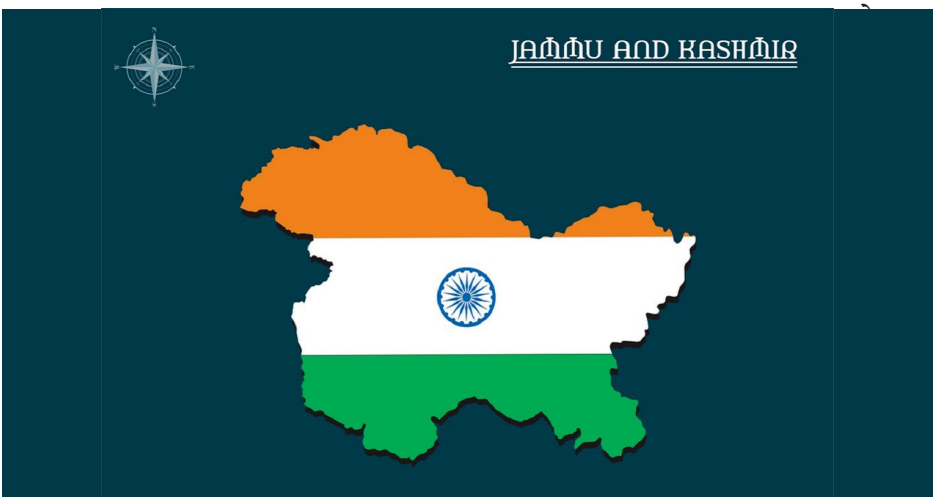

अधिक सेवाएं हुईं ऑनलाइन, फीडबैक तंत्र से भी जोड़ा गया.

- 2,428 अमृत सरोवर का निर्माण आजादी के अमृत महोत्सव के तहत हुआ.
- सुशासन इंडेक्स 2021 में जम्मू कश्मीर देश के लिए मानक बना.
- सक्षम जन वितरण प्रणाली के तहत 100 प्रतिशत लाभार्थियों तक पहुँच.
- 10 लाख फर्जी लाभार्थियों को छांटकर 1.6 लाख मीट्रिक टन अनाज और 230 करोड़ रूपए की बचत से असली लाभार्थियों को लाभ पहुँचाया.
- जम्मू कश्मीर विजन दस्तावेज 2047 तैयार कर केन्द्रीय गृह मंत्रालय को सौंपा गया.
- राज्य में डेढ़ लाख से अधिक कार्यक्रम का आयोजन
- केंद्र शासित राज्यों में पहला और देश में दूसरा स्थान जम्मू कश्मीर को प्राप्त हुआ.

स्वास्थ्य क्षेत्र में समृद्धि की ओर

881 करोड़ रूपए की लागत से जिला स्तर पर स्वास्थ्य इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड किया जा रहा है.

- 140 परियोजनाओं में से 120 परियोजनाएं पूरी, शेष 2023-24 तक होंगी.
- पीएम जय को शत प्रतिशत लागू करने वाला पहला राज्य बना जम्मू कश्मीर, सभी परिवारों को 5 लाख रूपए तक का स्वास्थ्य बीमा लाभ.
- हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए 7200 करोड़ रूपए की लागत से 2 नए एम्स, 5 नए नर्सिंग कॉलेज, 2 राज्य कैंसर संस्थान, 7 नए मेडिकल कॉलेज, 10 नर्सिंग कॉलेज का अपग्रेडेशन, 2 अस्पताल हड्डी और जोड़ रोग के लिए

विशेष रूप से बनाए जाएंगे.

- मेडिकल की शिक्षा में 2000 सीटें और जोड़ी गई हैं.
- स्वास्थ्य और आयुष में निवेश नीति को मंजूरी दी गई है, नशा मुक्ति के लिए भी नीति को मंजूरी दी गई है.
- ऑक्सीजन प्लांट की संख्या 2020 में 24 थी, जो अब 177 हो गई है. क्षमता भी 14,916 एलपीएम से 1,26,391 एलपीएम हुई है.
- शिक्षा के क्षेत्र में नई ऊँचाइयों पर जम्मू कश्मीर / लद्दाख : - 12 लाख से अधिक छात्रों को पहली बार स्वास्थ्य कार्ड जारी किए गए.
- 38 हजार शिक्षकों को नियमित किया गया.
- आईआईटी – आईआईएम की स्थापना रिकॉर्ड समय में हुई.
- पहली बार 50 नए कॉलेज की शुरुआत, उसमें 25 हजार अतिरिक्त सीटें एक वर्ष में जोड़ी गईं.
- नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति को लागू किया गया.
- 2 आर्किटेक्चर कॉलेज, 1 इंजीनियरिंग कोल्लगे की स्थापना.
- स्थानांतरण-नियुक्ति की प्रक्रिया ऑनलाइन और पारदर्शी हुई.
- 803 वोकेशनल लैब, 127 अटल टिंकरिंग लैब स्थापित.
- लद्दाख - शिक्षा के क्षेत्र में 6-12वीं तक के छात्रों ओ कंटेंट से भरे 12,300 से अधिक टैब वितरित किए गए. केन्द्रीय विद्यालय में एस्ट्रोनमी लैब स्थापित किए गए.
- एक मेडिकल कॉलेज 325 करोड़ रूपए की लागत से अनुमोदित किया गया है.

कृषि और किसान हुए खुशहाल

वर्ष 2022- 23 में 1.61 करोड़ पौधे लगाए गए, जबकि लक्ष्य 1.35 करोड़ पौधों का था.

- 5,013 करोड़ रूपए के प्रावधान से समग्र कृषि विकास कार्यक्रम की शुरुआत.
- कृषि से मासिक आय के मामले में तीसरा स्थान तो कृषि और उससे जुड़े क्षेत्रों के मामले में देश का 5वां सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाला राज्य/केंद्र शासित प्रदेश बना.
- कश्मीर के केसर को जीआई टैग मिला और उत्पादन में बढ़ोत्तरी से केसर उत्पादकों की आय दोगुनी हुई.
- किसान क्रेडिट कार्ड, पीएम किसान योजना का लाभ का दायरा तेजी से बढ़ा.
- दुग्ध, मटन, पौल्ट्री में राज्य को आत्मनिर्भर बनाने की पहल, हर गाँव हरियाली योजना, 75 नए ट्रैकिंग रूट खोले गए.

युवाओं के हित को समर्पित योजनाएं

50 हजार से अधिक युवा व जरुरतमंदों को कौशल का प्रशिक्षण दिया गया.

- 60 लाख से अधिक युवाओं ने 2022-23 में खेल गतिविधियों में हिस्सा लिया.
- मुमकिन, तेजस्विनी, राइज टुगेदर, वालंटियर प्रोग्राम, आदि से युवाओं को कैरिअर संबंधित मार्गदर्शन और आगे बढ़ने का अवसर मिल रहा है.
- 5,130 युवा क्लब निर्मित, तेजस्विनी योजना में 6500 महिलाओं को लाभ, मुमकिन में 9 हजार से अधिक युवा लाभान्वित.
- परवाज योजना में 2000 प्रशासनिक सेवा के इच्छुक को सुविधा.
- गाँव स्तर पर विभिन्न योजनाओं के जरिए रोजगार के नए अवसर देकर उन्हें सशक्त बनाया जा रहा है.
- हर जिले में इनडोर खेल परिसर, हर पंचायत में खेल का मैदान और राज्य में स्टेडियम और खेल के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर की सुविधा.

महिलाओं को समान अधिकार और अवसर

6.43 लाख से अधिक महिलाओं को 80 हजार स्व सहायता समूह के लिए मिला लाभ.

- हौसला नामक पहल की शुरुआत ताकि राज्य की महिला उद्यमियों को लाभ मिले.
- डिजी पे सखी, कृषि सखी, पशु सखी, उम्मीद महिला हाट जैसी पहल से महिलाओं को अलग-अलग क्षेत्रों में नए अवसर और नई पहचान.

टूरिज्म

अनुच्छेद 370 के हटाए जाने के बाद जम्मू कश्मीर और लद्दाख में पर्यटकों के आने का क्रम लगातार बढ़ रहा है. वर्ष 2022 में रिकॉर्ड 1 करोड़ 88 लाख पर्यटक जम्मू और कश्मीर आए. ऐसा माना जा रहा है कि अगले 5 वर्षों में यहाँ होटलों और कमरों की संख्या में तीन गुना की वृद्धि हो जाएगी.

- डल झील को देश का सबसे आकर्षक पर्यटन केंद्र बनाने के उद्देश्य से अभी प्राथमिक रूप से लगभग 85 करोड़ रूपए की योजना बनी है.
- श्रीनगर स्मार्ट सिटी लिमिटेड में 345 करोड़ रूपए के खर्च से मल्टी लेवल पार्किंग, स्मार्ट लाइटिंग, एकीकृत कमांड और पार्कों के विकास जैसी कई योजनाओं पर कार्य शुरू हुआ है.
- जम्मू कश्मीर और लद्दाख में उन जगहों की पहचान होनी शुरू हुई है जो टॉप के टूरिज्म डेस्टिनेशन बन सकते हैं.
- हिमालय की 137 पर्वत चोटियाँ विदेशी पर्यटकों के लिए खोली गई हैं जिनमें 15 चोटियाँ जम्मू कश्मीर और लद्दाख की हैं.
- लद्दाख में बौद्ध अध्ययन केंद्र और पहले केन्द्रीय विश्वविद्यालय की योजना आकार ले रही है.

समानता और न्याय

आरक्षण के प्रावधानों में बदलाव कर दायरा बढाया गया, 4 फ़ीसदी पहाड़ी भाषा बोलने वालों को, 10 फीसदी आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को, अन्य सामाजिक वर्ग का दायरा 2 प्रतिशत से बढ़ाकर 4 प्रतिशत किया गया.

- सीमा पर नियंत्रण रेखा के पास रहने वाले लोगों का दायरा 3 से बढ़ाकर 4 फीसदी किया गया.
- विधानसभा सीटों पर जनजातीय आरक्षण आबादी के अनुसार.
- अब तक 61,47,482 स्थायी निवासी प्रमाण पत्र जारी, इसमें पाकिस्तान से आए शरणार्थी, वाल्मीकि, गोरखा, विस्थापित, सफाई कर्मचारी, जिन महिलाओं की शादी राज्य से बहार हुई थी उनके बच्चे आदि शामिल हैं.
- स्थायी निवासी प्रमाण पत्र की प्रक्रिया सरल और ऑनलाइन, 15 दिन की समय सीमा, अपील की सुविधा और देरी के मामलों में अधिकारियों पर जुर्माने का प्रावधान.
- विस्थापितों को पीएमडीपी 2015 में 5.5 लाख की वित्तीय सहायता
- भर्तियों में सीमा पर रहने वाले लोगों के लिए आरक्षण की योजना में लाभ को 31 मार्च 2024 तक के लिए बढ़ाया गया.
- जनजातीय समूह के लिए नए युपंच ग की शुरुआत, 3032 वन अधिकार प्रमाण पत्र अब तक जारी किए गए.
- दो जनजातीय संग्रहालय-पूँछ और जम्मू में बनेंगे, 221 स्मार्ट स्कूल भी बनाए जाएंगे.

लोकतंत्र हो रहा निरंतर मजबूत

पंचायती राज क़ानून तीनों स्तर पर पहली बार लागू हुआ. मतदान में 74 प्रतिशत से अधिक भागीदारी, 3991 सरपंच और 28521 पंच निर्वाचित.

- ब्लॉक डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में 98.3 प्रतिशत का रिकार्ड मतदान, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल के चुनाव में 52 प्रतिशत मतदान.
- जम्मू कश्मीर के इतिहास में 150 साल पुरानी दरबार मूव प्रथा खत्म, छह – छह महीने के लिए दो राजधानी होने की वजह से दरबार मूव यानी ट्रकों से सारा सामान लादकर लाया जाता था, जिससे सरकारी खर्च बढ़ता था.
- अब ई-फाइल्स और ई-ऑफिस की पहल होने से करीब 400 करोड़ रूपए की बचत होगी.
- शिकायत के समाधान के लिए निगरानी तंत्र की स्थापना – JKIGRAMS हुई. सितंबर 2020 में लांच इस पहल से अब तक 2,43,476 शिकायतें दर, 95 फ़ीसदी निवारण दर रही.
- एलजी मुलाक़ात कार्यक्रम की पहल के बाद से शिकायत निवारण की दर 52 फीसदी से 95 फीसदी पहुंची.
- आवाम की आवाज जैसी पहल उपराज्यपाल ने की जिसका उद्देश्य जनता से फीडबैक लेकर नई नीतियों का निर्माण करना है.
- बैक टू विलेज जैसे कार्यक्रम के चौथे चरण में 4 हजार वरिष्ठ अधिकारियों को पंचायतों में तैनात किया गया. प्रशासन आपके द्वार में 35 हजार से अधिक काम लोगों द्वारा चिन्हित और उनपर कार्य शुरू.
- भ्रष्टाचार मुक्त जम्मू कश्मीर बनाने के लिए सार्थक नागरिक मोबाइल एप और पोर्टल लांच किया गया.

सियासत से आतंकियों तक, निवेश से कारोबार, चार सालों में बदला जम्मू-कश्मीर

प्रीति गुप्ता

देश में 5 अगस्त 2019 के दिन एक ऐतिहासिक फैसला लिया गया था। इस दिन केंद्र की मोदी सरकार ने जम्मू-कश्मीर को खास दर्जा देने वाले अनुच्छेद 370 को निरस्त कर दिया था। केंद्र सरकार की इस ऐतिहासिक फैसले से बीते 4 सालों में जम्मू-कश्मीर में काफी बड़े बदलाव आए हैं।

वह चाहे राजनीतिक हो, आर्थिक हो या फिर विकासात्मक हो। केंद्र सरकार ने अनुच्छेद 370 को खत्म कर जम्मू कश्मीर से 70 साल की टीस को खत्म किया है। प्रदेश को मुख्यधारा से जोड़कर देश के अन्य राज्यों के बराबर लाकर खड़ा कर दिया है। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब जम्मू-कश्मीर भी देश के बाकी राज्यों जैसा ही हो गया है।

प्रदेश में लागू होते हैं केंद्र के कानून

पहले यहां केंद्र सरकार का कोई भी कानून लागू नहीं होता था, लेकिन अब केंद्र के सभी कानून यहां लागू किए जाते हैं। बंद और पथराव अब किसी को याद नहीं है। शिक्षण संस्थानों पर अब ताला नजर नहीं आता। किसी क्षेत्र में शिक्षण संस्थानों को जलाए जाने की वारदात भी अब बंद हो चुकी है। अनुच्छेद 370 के 4 साल पूरे होने पर यह जानना भी आवश्यक है कि इन 4 सालों में जम्मू कश्मीर में क्या बड़े बदलाव देखे गए हैं। वहां निवेश से लेकर कारोबार को कितना बढ़ावा दिया गया और सब से अहम आतंकी घटनाओं में कितनी कमी आई है।

कितना हुआ राजनीतिक बदलाव?

जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म होने के बाद यह विकास की राह पर चल पड़ा। बीते 4 सालों में जम्मू कश्मीर का भौगोलिक नक्शा तो बदला ही है।

साथ ही निर्वाचन क्षेत्र की तस्वीर भी बदल गई है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य का बंटवारा कर दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाया गया। जम्मू कश्मीर का अपना झंडा और अपना संविधान की व्यवस्था खत्म हो गई।

5 साल किया गया विधानसभा का कार्यकाल

जम्मू-कश्मीर से दोहरी नागरिकता को भी समाप्त कर दिया गया। जहां पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का होता था वहीं अब उसे 5 साल कर दिया गया है। प्रदेश से विधान परिषद को भी समाप्त कर दिया गया है। जम्मू कश्मीर में 7 विधानसभा सीटों को बढ़ाया गया है, जिसमें से 6 सीटें जम्मू और एक सीट कश्मीर में बढ़ाई गई है। जम्मू और कश्मीर विधानसभा में कुल 90 सीटें हो गई है। यह सीटें पाक अधिकृत कश्मीर को हटाकर हैं। पीओके के लिए 24 सीट पहले से तय है, जिस पर चुनाव नहीं होते हैं।

अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित की गई सीटें

इस बदलाव के तहत जम्मू क्षेत्र में 43 और कश्मीर घाटी में 47 सीटें हो गए हैं। वही इससे पहले कश्मीर घाटी में 46 और जम्मू क्षेत्र में 37 सीटें होती थी। पहली बार जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीट आरक्षित की गई है। एसटी के लिए 9 सीट आरक्षित की गई है। इनमें से छह जम्मू क्षेत्र में और 3 सीट कश्मीर घाटी में आरक्षित की गई है। वहीं अनुसूचित जनजाति के लिए पहले से आरक्षित 7 सीटों को बरकरार रखा गया है।

पहाड़ी समुदाय को मिला अनुसूचित जनजाति का दर्जा

जम्मू कश्मीर के लिए 26 जुलाई का दिन भी बेहद ही खास रहा। लोकसभा में जम्मू-कश्मीर अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2030 को पारित कर दिया गया। इसके तहत पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल गया। इस बिल के तहत अब जम्मू कश्मीर की पहाड़ी, गद्दा, ब्राह्मण

कोल और वाल्मीकि वर्ग को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया।

वहीं, जम्मू-कश्मीर में आगामी साल में विधानसभा चुनाव का आयोजन कराया जा सकता है। साल 2014 में ही आखरी बार जम्मू कश्मीर में विधानसभा चुनाव आयोजित किए गए थे। यदि आगामी साल में विधानसभा चुनाव का आयोजन होता है तो धारा 370 हटाने के बाद जम्मू कश्मीर में यह पहला विधानसभा चुनाव होगा।

आतंकी घटनाओं में आई कमी

जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद आतंकी घटनाओं में भी कमी देखने को मिली है। वहां से अलगाववादियों का जनाधार खत्म होता जा रहा है। पिछले साल के आंकड़ों के मुताबिक, 5 अगस्त 2016 से 4 अगस्त 2019 के बीच 900 आतंकी घटनाएं हुई थीं। जिसमें 290 जवान शहीद हुए थे और 191 आम लोग मारे गए थे।

आतंकी ठिकानों पर बढ़ी कार्रवाई

5 अगस्त 2019 से 4 अगस्त 2022 के बीच 617 आतंकी घटनाओं में 174 जवान शहीद हुए और 110 नागरिकों की मौत हुई। इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में कमी देखने को मिली है। NIA भी लगातार आतंकी ठिकानों पर छापेमारी कर उनके नेटवर्क को ध्वस्त करने में लगी हुई है। साल 2018 में 58, साल 2019 में 70 और साल 2020 में 6 हुर्रियत नेता हिरासत में लिए गए। 18 हुर्रियत नेताओं से सरकारी खर्च पर मिलने वाली सुरक्षा वापस ली गई। अलगाववादियों के 82 बैंक खातों में लेनदेन पर रोक लगा दी गई।

कितने लोगों को मिला रोजगार?

केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार यानी 26 जुलाई को राज्यसभा में एक रिपोर्ट पेश की गई। रिपोर्ट में बताया गया कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से लगभग 30,000 युवाओं को नौकरियां दी गई है। जम्मू-कश्मीर सरकार ने 29,295 रिक्तियां भरी है। भर्ती एजेंसियों ने 7,924 रिक्तियों का विज्ञापन दिया है और 2,504 व्यक्तियों के संबंध में परीक्षाएं आयोजित की गई है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में कई योजनाएं भी शुरू की है। अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास रहने वालों के

लिए सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में 3% आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

निवेश और कारोबार में भी हुई बढ़ोतरी

जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने से पहले बाहरी लोगों को जमीन खरीदने का अधिकार नहीं था, लेकिन अनुच्छेद 370 हटाने के बाद अब बाहरी लोग भी जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीदते हैं। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से जम्मू कश्मीर में 188 भारी निवेशकों ने जमीन ली है। वहीं, इसी साल मार्च में जम्मू कश्मीर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का पहला प्रोजेक्ट मिला है। यह प्रोजेक्ट 500 करोड़ रुपये का है। इस प्रोजेक्ट के पूरे होते ही कश्मीर में 10,000 नौकरियां मिल सकेंगी। जानकारी के मुताबिक ये प्रोजेक्ट संयुक्त अरब अमीरात के 'एमआर' ग्रुप का है।

उद्योगों को मिला बढ़ावा

बीते साल के आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री डेवलपमेंट पैकेज के तहत 58,477 करोड़ रुपए की लागत के 53 प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे। यह प्रोजेक्ट्स रोड, पावर, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म, खेती और स्किल डेवलपमेंट जैसे सेक्टर में शुरू हुए थे। जम्मू कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए नई केंद्रीय योजना के तहत 2037 तक 28,400 करोड़ की राशि खर्च होगी। इसके तहत उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा और औद्योगीकरण का नया अध्याय प्रारंभ होगा। यह योजना रोजगार सृजन कौशल विकास और सतत विकास पर केंद्रित होगी।

जम्मू-कश्मीर में भी खुलेगा एम्स

जम्मू कश्मीर में 2 एम्स खोलने की मंजूरी दी गई है। इनमें से एक एम्स जम्मू में होगा और दूसरा कश्मीर में। लगभग 80, 000 करोड़ रुपये वाले प्रधानमंत्री विकास पैकेज 2015 के तहत विकास की 20 से अधिक परियोजनाओं को पूरा किया जा चुका है। वहीं, बाकी परियोजनाओं का काम भी चल रहा है।

पर्यटन क्षेत्र में भी लगे विकास के पंख

जम्मू कश्मीर में धारा 370 को निरस्त किए गए आज 4 साल पूरे हो गए हैं। बीते 4 सालों में जम्मू कश्मीर में विकास

की ओर उड़ान भरी है। इसी के चलते प्रदेश में पर्यटन को भी बढ़ावा मिला है। प्रदेश में पर्यटकों की अच्छी खासी भीड़ देखने को मिलती है। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक साल 2022 में 1.88 करोड़ पर्यटकों ने जम्मू कश्मीर की खूबसूरती का लुत्फ उठाया।

अमरनाथ श्रद्धालुओं की संख्या में रिकॉर्ड तोड़ इजाफा

साल 2021, 2022 और 2023 में बड़ी तादाद में पर्यटक कश्मीर आए हैं। साथ ही कश्मीर के बागबानी सेक्टर में सब का कारोबार शामिल है। इन दोनों को मिलाकर करीब 20,000 करोड़ रुपये सालाना की आमदनी होती है। वहीं, इसी साल शुरू की गई अमरनाथ यात्रा में भी श्रद्धालुओं की संख्या में बीते सालों के मुकाबले रिकॉर्ड तोड़ इजाफा हुआ है। इस साल अमरनाथ यात्रा में 4 लाख से अधिक श्रद्धालु दर्शन कर चुके हैं।

जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद आतंकी घटनाओं में भी कमी देखने को मिली है। वहां से अलगाववादियों का जनाधार खत्म होता जा रहा है। पिछले साल के आंकड़ों के मुताबिक, 5 अगस्त 2016 से 4 अगस्त 2019 के बीच 900 आतंकी घटनाएं हुई थीं। जिसमें 290 जवान शहीद हुए थे और 191 आम लोग मारे गए थे।

अब स्कूलों में नहीं लगता ताला और नहीं लगते भड़काऊ नारे

अनुच्छेद 370 और 35ए की बेड़ियों से आजादी के बाद जम्मू कश्मीर में आए सुखद बदलाव को स्पष्ट रूप से महसूस किया जा सकता है। वहां, अब शिक्षा का स्तर दिन पर दिन बेहतर होता जा रहा है। शिक्षण संस्थानों पर अब ताला नजर नहीं आता। किसी क्षेत्र में शिक्षण संस्थानों को जलाए जाने की वारदात भी अब बंद हो चुकी है। स्कूल-कालेजों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ चुकी है। अकादमिक सत्र भी नियमित हो चुका है, परीक्षाएं निर्धारित समय पर हो रही हैं। छात्र अब पथराव करते हुए नजर नहीं आते, वह अपनी कक्षाओं में या फिर खेल के मैदान में नजर आते हैं।

(प्रस्तुत विचार लेखक के निजी हैं)

बदलाव की राह पर तेजी से बढ़ रहा जम्मू-कश्मीर

पीयूष द्विवेदी

5 अगस्त, 2019 की तारीख इतिहास के पन्नों में दर्ज हो गई है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार द्वारा संसद के माध्यम से अनुच्छेद-370 को ख़त्म कर जम्मू-कश्मीर को पूरी तरह से भारत का अविभाज्य अंग बना दिया। आज इस ऐतिहासिक निर्णय को चार वर्ष से अधिक का समय बीत चुका है। इस दौरान जम्मू-कश्मीर में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक आदि विभिन्न स्तरों पर बहुत बदलाव आया है। सबसे बड़ा बदलाव तो यह है कि प्रदेश में आतंकी घटनाओं और लोगों की जान जाने में लगातार कमी आ रही है। जो जम्मू-कश्मीर पहले आतंकियों की हिंसा और मनमानी का गढ़ था, वहाँ अब शांति और विकास की संभावनाएं साकार हो रही हैं।

घाटी में सुरक्षा बलों की मौजूदगी के कारण पत्थरबाजी की घटनाएं लगभग शून्य हो गई हैं। वहीं एनआईए जैसी केंद्रीय एजेंसियों के कठोर कदमों से आतंकवाद की कमर भी टूट चुकी है। गृह मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार, 2021 के जनवरी से जुलाई तक कश्मीर में 76 पत्थरबाजी की घटनाएं दर्ज की गई हैं, जो 2020 की इसी अवधि में 222 और 2019 की इसी अवधि में हुईं 618 घटनाओं के मुकाबले काफी कम हैं। वर्ष 2019 के मुकाबले 2020 में राज्य में आतंकी घटनाओं में 59 फीसद की कमी आई, जबकि जून, 2021 तक इसी अवधि में आतंकी घटनाओं में 32 फीसद की कमी दर्ज की गई है। जम्मू-कश्मीर प्रशासन ने 2022 से कानून-व्यवस्था को लेकर ओवरऑल डेटा

संग्रह का काम शुरू किया है। इसमें पत्थरबाजी समेत कानून-व्यवस्था भंग होने की सभी घटनाएं शामिल हैं। इस डेटा के अनुसार, 2022 में जम्मू-कश्मीर में सिर्फ 20 बार कानून-व्यवस्था को बिगाड़ने की कोशिश हुई। यह तथ्य प्रदेश में शांति कायम होने की कहानी ही कह रहे हैं। साथ ही, अब प्रदेश में अलगाववादी नेताओं का जमीन पर असर लगभग न के बराबर रह गया है। ऐसा लग रहा जैसे जम्मू-कश्मीर के लोग इन नेताओं की असलियत को समझने लगे हैं।

अब प्रदेश में पाक समर्थक एवं भारत विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने वालों के खिलाफ भी कोई नरमी नहीं दिखाई जा रही। हाल ही में राष्ट्रविरोधी गतिविधियों में संलिप्तता पर बारामुला और बांदीपोरा में तीन लोगों पर पीएसए के तहत मामला दर्ज किया गया। इसी साल फरवरी में अवाम आवाज पार्टी के सदस्य तीन लोगों को भी राष्ट्र-विरोधी गतिविधियों में शामिल होने के लिए गिरफ्तार किया गया था। इस पार्टी ने जब कश्मीर की आजादी के लिए लड़ने की घोषणा की उसके बाद ही पुलिस द्वारा कार्रवाई करते हुए इस पार्टी के अध्यक्ष सुहैल खान तथा उनके दो साथियों को गिरफ्तार किया गया था। इसी तरह वर्ष 2021 में श्रीनगर के गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज (GMC) और शेर-ए-कश्मीर इंस्टिट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज (SKIMS) के कुछ छात्रों ने भारत-पाक मैच में पाकिस्तान की जीत का जश्न मनाते हुए पाकिस्तानी राष्ट्रगान गाया था। तब उन छात्रों पर सख्त कार्रवाई करते हुए यूएपीए कानून के तहत केस दर्ज किया गया था। संदेश साफ है कि देश में रहकर, देश का खाकर पाकिस्तानपरस्ती करने

जम्मू-कश्मीर में पीएम आवास योजना का लक्ष्य पूरा करने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। इस बीच पूरा राज्य ओडीएफ यानि खुली शौच की समस्या से मुक्त घोषित किया जा चुका है। ग्रामीण स्कूलों, आंगनबाडी, अस्पतालों में सौ फीसदी पानी पहुंचाया जा चुका है। वर्ष 2021-22 में प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट पूरा करते हुए कुल 92,560 योजनाएं पूरी की गईं।

वालों को अब महज 'गुमराह' या 'भटके हुए युवा' समझकर नरमी नहीं बरती जाएगी। जम्मू-कश्मीर जो ऐसे देश-विरोधी लोगों के लिए अपना गढ़ हुआ करता था, जहां वो कुछ भी करके कानून से बचे रहते थे। अब वो गढ़ तेजी से दरकने लगा है।

बदलाव यह भी हुआ है कि अब प्रदेश के सरकारी कार्यालयों पर तिरंगा लहराने देखा जा सकता है। भारतीय पर्वों को भी उल्लास के साथ खुलकर मनाया जाने लगा है। लाल चौक पर अब तिरंगा फहराने से लेकर कृष्ण जन्माष्टमी की झांकी निकलने तक के दृश्यों को देश देख चुका है। अनुच्छेद-370 के समय जो जम्मू-कश्मीर की स्थिति थी, उसमें ऐसी चीजों का हो पाना बहुत मुश्किल था। यह चीजें दिखाती हैं कि जम्मू-कश्मीर अनुच्छेद-370 से मुक्त होने के बाद अब भय, हिंसा और आतंक के साए से भी तेजी से मुक्त हो रहा है।

प्रदेश के निवासियों को अब केंद्र सरकार की विकास योजनाओं का लाभ मिलने लगा है। अनुच्छेद-370 हटने के साल भर के अंदर ही एलओसी के निकट बसे गांवों में बिजली और सड़क पहुँचाने का काम किया गया। बड़ी तादाद में युवाओं को सरकारी नौकरियां दी गई हैं तथा आगे और दी जानी हैं। एक आंकड़े के अनुसार, सरकार ने वर्ष 2019 में अनुच्छेद-370 समाप्त होने के बाद से 2022 तक सार्वजनिक क्षेत्र में कुल 29,806 भर्तियाँ की हैं। साथ ही, इसी अवधि में स्व-रोजगार योजनाओं के माध्यम से भी 5.2 लाख लोगों के लिए रोजगार सृजित होने का अनुमान है।

जम्मू-कश्मीर में पीएम आवास योजना का लक्ष्य पूरा करने की दिशा में तेजी से काम हो रहा है। इस बीच पूरा राज्य ओडीएफ यानि खुली शौच की समस्या से मुक्त घोषित किया जा चुका है। ग्रामीण स्कूलों, आंगनबाडी, अस्पतालों में सौ फीसदी पानी पहुंचाया जा चुका है। वर्ष 2021-22 में प्रदेश में सबसे ज्यादा प्रोजेक्ट पूरा करते हुए कुल 92,560 योजनाएं पूरी की गईं। लंबित परियोजनाएँ कार्यक्रम के तहत, 1984 करोड़ रुपये की 1193 परियोजनाएँ पूरी की गईं, जिनमें 5 परियोजनाएँ जो 20 वर्षों से अधिक समय से अधूरी थीं, 15

परियोजनाएँ 15 वर्षों से अधिक समय से और 165 परियोजनाएँ 10 वर्षों से अधिक समय से अधूरी थीं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत मार्च, 2022 तक 17601 किलोमीटर सड़क का निर्माण कार्य पूरा कर लिया गया था। इस आंकड़े में अब निस्संदेह वृद्धि ही हुई होगी। नई बनिहाल सुरंग और चेनानी नाशरी सुरंग पूरी हो गई और यातायात के लिए खोल दी गई। वर्ष 2022 तक प्रदेश में 02 नए एम्स, 07 नए मेडिकल कॉलेज, 02 राज्य कैंसर संस्थान और 15 नर्सिंग कॉलेज शुरू किए गए। 854 सीटों की प्रवेश क्षमता जोड़ी गई, जिसमें 600 एमबीबीएस, 50 पीजी पाठ्यक्रम, 26 बीडीएस, 38 एमडीएस और 140 डीएनबी शामिल हैं। 2020 से 2022 के बीच प्रदेश में लगभग 3000 मेगावाट क्षमता की बिजली परियोजनाओं को पुनर्जीवित करने का काम किया गया है। स्पष्ट है कि सरकार जम्मू-कश्मीर के विकास के लिए पूरी प्रतिबद्धता और शक्ति के साथ लगी है।

अनुच्छेद-370 हटने के बाद जम्मू-कश्मीर में सांस्कृतिक परिवर्तन भी आकार लेने लगे हैं। बीते वर्षों में मोदी सरकार द्वारा प्रदेश के लिए नई भाषा नीति की घोषणा भी की गई है। इससे पूर्व प्रदेश में उर्दू और अंग्रेजी, इन दो भाषाओं को ही आधिकारिक दर्जा मिला हुआ था, परन्तु, इस नयी भाषा नीति के तहत उर्दू-अंग्रेजी के अतिरिक्त और तीन भाषाओं हिंदी, कश्मीरी व डोगरी को भी प्रदेश में आधिकारिक भाषा का दर्जा प्रदान किया गया। यह विडंबना ही थी कि कश्मीरियत की बात करने वालों ने कभी कश्मीरी को आधिकारिक भाषा बनाने की जरूरत नहीं समझी। यह काम भी मोदी सरकार द्वारा ही किया गया। कुल मिलाकर कहने का आशय यह है कि अनुच्छेद-370 हटने के बाद से मोदी सरकार द्वारा जम्मू-कश्मीर के सामाजिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक, आर्थिक आदि सभी क्षेत्रों में बदलाव के लिए कदम उठाए गए हैं, जिसके परिणामस्वरुप जम्मू-कश्मीर देश के विकास की मुख्यधारा से कदमताल करते हुए तेजी से आगे बढ़ रहा है।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं। प्रस्तुत विचार निजी हैं।)

नए भारत में विकास कि ओर अग्रसर जम्मू-कश्मीर

अजय धवले

5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 के हटने के 4 वर्ष पूर्ण हो गए है भारतीय इतिहास में 5 अगस्त का दिन स्वर्णिम अक्षरों में अंकित है, जब संविधान के अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया गया। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में केंद्र सरकार द्वारा , 5 अगस्त 2019 को राज्यसभा में ऐतिहासिक जम्मू-कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 पेश किया। उसमें जम्मू-कश्मीर राज्य से संविधान का अनुच्छेद 370 हटाने और राज्य का विभाजन जम्मू-कश्मीर और लद्दाख के रूप में दो केंद्र शासित क्षेत्र बनाने का प्रस्ताव था । जिसके अंतर्गत जम्मू कश्मीर केंद्र शासित क्षेत्र में अपनी विधायिका होगी जबकि लद्दाख बिना विधायी वाला केंद्र शासित क्षेत्र होगा। राज्यसभा में इसके पक्ष में 125 वोट पड़े जबकि विपक्ष में 61 मत। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 370 ऐसा अनुच्छेद था, जो जम्मू और कश्मीर को स्वायत्तता प्रदान करता था।

यूनाइटेड किंगडम में प्रकाशित एक एशियाई दैनिक (एशियन लाइट) की रिपोर्ट के अनुसार 2019 में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने के बाद से केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के बारे में आम धारणा को बदलने में भारत सरकार सफल रही है तथा वहां के लोगों की आर्थिक स्थिति को भी सुधारने में कामयाब रही है।

निश्चित रूप से उप राज्यपाल के नेतृत्व में प्रशासन ने लोगों के अनुकूल नीतियों बनाई है। इसके साथ साथ ये भी सुनिश्चित किया है कि इस नीतियों का कार्यान्वयन भी अच्छे तरीके से हो। इसके साथ ही साथ सरकार ने क्षेत्र में नए व्यवसायों और उद्योगों की स्थापना के लिए सभी बाधाओं को दूर कर दिया है।

दरअसल भारत कि मुख्य धारा से दशकों से दूर जम्मू कश्मीर था किन्तु अनुच्छेद 370 के ऐतिहासिक निरस्तीकरण के बाद, जम्मू और कश्मीर में विभिन्न क्षेत्रों में एक उल्लेखनीय परिवर्तन आया है, जिससे नए अवसरों और विकास का मार्ग प्रशस्त हुआ है। क्षेत्र के शैक्षणिक संस्थान बिना किसी व्यवधान के चालू हैं और निर्बाध इंटरनेट सेवाओं की उपलब्धता ने डिजिटल व्यवसायों के विस्तार के लिए उत्प्रेरक के रूप में काम किया है। विभिन्न क्षेत्रों में पर्यटकों की संख्या बढ़ी है, सीमा पर्यटन काफी लोकप्रियता हासिल कर रहा है, जिससे देश भर से पर्यटक आकर्षित हो रहे हैं।

भारत सरकार का अनुच्छेद 370 हटाने के पीछे अलगाववाद को समाप्त करना भी एक लक्ष्य था ताकि घाटी से आतंकवाद का भी सफाया हो सके। इसके लिए पाकिस्तानी विचारधारा वाले नेताओं तथा अलगाववादी नेताओं को हिरासत में लिया गया। चार वर्ष पहले भारत सरकार अपने लक्ष्य में कामयाब रही और उसने लगभग अलगाववादी मानसिकता को समाप्त कर दिया। मुख्यतः सभी अलगाववादी नेता जेल में हैं और अलगाववादी तथा हुर्रियत नेताओं के साथ सख्ती रंग लाई और जमीनी हकीकत में काफी बदलाव भी आया। 5 अगस्त 2019 को जब अनुच्छेद 370 हटाई गई तो उसके बाद कश्मीर में हड़ताल और बंद के आहवानों पर जैसे लगाम लग गई। इसमें सबसे बड़ा लाभ हुआ कि वादी में पत्थराव की घटनाएं बंद हो गईं और जीवन भी सामान्य हो गया। 2019 के बाद कश्मीर में गलियों और बाजारों में भारत विरोधी प्रदर्शन और पत्थराव देखने को नहीं मिला और जनजीवन सामान्य हुआ है ।

हाल ही में केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है कि अनुच्छेद 370 के निरस्त होने के बाद जम्मू-कश्मीर में अभूतपूर्व स्थिरता का दौर है। तीन दशकों की उथल-पुथल के बाद क्षेत्र में जीवन सामान्य हो गया है। राज्य में लगातार प्रगति हो रही है। तीन वर्षों में स्कूल, कॉलेज और अन्य सार्वजनिक संस्थान कुशलता से काम कर रहे हैं। पत्थरबाजी अतीत की बात हो गई है। अब घाटी के लोगों को भी वह अधिकार प्राप्त हैं, जो देश के दूसरे प्रांतों के लोगों को हैं।

आतंकवादी-अलगाववादी एजेंडे के तहत 2018 में पत्थर फेंकने की 1,767 घटनाएं हुईं, जो 370 हटने के बाद 2023 में मौजूदा तारीख तक शून्य हैं।

गृह मंत्रालय ने 5 अगस्त, 2019 के फैसले के बाद जम्मू-कश्मीर में आए बदलाव पर शीर्ष कोर्ट में कहा है कि , हड़ताल, पथराव व बंदी की प्रथा अब अतीत की बात है। पथराव की कोई घटना नहीं हुई है। शिक्षा का अधिकार अधिनियम और अनुसूचित जाति व जनजाति को आरक्षण देने वाले केंद्रीय कानून भी लागू हैं। केंद्र का जवाब अनुच्छेद 370 निरस्त करने के फैसले को चुनौती देने वाली 20 से अधिक याचिकाओं पर आया है।

साथ ही गृह मंत्रालय ने यह भी उल्लेख किया है कि 370 खत्म होने से राज्य में आतंक के खिलाफ जीरो-टॉलरेंस की नीति है। आतंकी नेटवर्क नष्ट कर दिए हैं। वर्ष 2018 से 2022 के बीच आतंकी गतिविधियों में 45.2 फीसदी की कमी आई है। घुसपैठ की घटनाएं भी 2018 में 143 के मुकाबले 2022 में सिर्फ 14 रह गईं। कानून-व्यवस्था के मामले भी 1767 से घटकर 50 रह गए।

भारत सरकार का अनुच्छेद 370 हटाने के पीछे अलगाववाद को समाप्त करना भी एक लक्ष्य था ताकि घाटी से आतंकवाद का भी सफाया हो सके। इसके लिए पाकिस्तानी विचारधारा वाले नेताओं तथा अलगाववादी नेताओं को हिरासत में लिया गया। चार वर्ष पहले भारत सरकार अपने लक्ष्य में कामयाब रही और उसने लगभग अलगाववादी मानसिकता को समाप्त कर दिया। मुख्यतः सभी अलगाववादी नेता जेल में हैं और अलगाववादी तथा हुर्रियत नेताओं के साथ सख्ती रंग लाई और जमीनी हकीकत में काफी बदलाव भी आया।

2022 में सुरक्षा बलों के 31 सदस्यों की मृत्यु गई, जबकि 2018 में यह 91 थी। इन आंकड़ों से साफ पता चलता है कि जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में कमी देखने को मिली है। NIA भी लगातार आतंकी ठिकानों पर छापेमारी कर उनके नेटवर्क को ध्वस्त करने में लगी

हुई है। साल 2018 में 58, साल 2019 में 70 और साल 2020 में 6 हुर्रियत नेता हिरासत में लिए गए। 18 हुर्रियत नेताओं से सरकारी खर्च पर मिलने वाली सुरक्षा वापस ली गई। अलगाववादियों के 82 बैंक खातों में लेनदेन पर रोक लगा दी गई।

गौरतलब है कि अनुच्छेद 370 और जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम, 2019 के प्रावधानों को निरस्त करने के केंद्र के फैसले को चुनौती देने वाली कई याचिकाएं को 2019 में एक संविधान पीठ को भेजा गया था। केंद्र ने तर्क दिया कि जिस ऐतिहासिक संवैधानिक कदम को चुनौती दी जा रही है उससे क्षेत्र में अभूतपूर्व विकास, प्रगति, सुरक्षा और स्थिरता आई है, जो पुराने अनुच्छेद 370 शासन के दौरान अक्सर नहीं थी।

अनुच्छेद 370 को हटाए जाने के बाद से जम्मू-कश्मीर में जिस तरह आधारभूत संरचना का विकास हो रहा है, कनेक्टिविटी बढ़ रही है, उससे राज्य में पर्यटन गतिविधियों का विस्तार हुआ है और विगत वर्ष 2022 में रिकॉर्ड वृद्धि के साथ 26 लाख से अधिक पर्यटक वहां पहुंचे हैं। भारत के राजनैतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने के बाद से वर्ष 2019 तक जम्मू-कश्मीर में तकरीबन 14,700 करोड़ रुपए का निवेश हो पाया था, जबकि पिछले केवल 3 वर्षों में यह चार गुना बढ़कर 56,000 करोड़ रुपए से अधिक का हो गया है। स्वास्थ्य से जुड़ी आधारभूत संरचना का भी तेजी से विकास हो रहा है। 2 नए एम्स, 7 नए मेडिकल कॉलेज, 2 स्टेट कैंसर इंस्टीट्यूट और 15 नर्सिंग कॉलेज खुलने जा रहे हैं। इस सबसे स्थानीय नागरिकों के लिए रोजगार के नए अवसरों में उल्लेखनीय वृद्धि हो रही है।

जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 के निरस्तीकरण से जिला विकास परिषदों के चुनाव के साथ ही त्रिस्तरीय पंचायतीराज की शुरूआत हुई है। लोगों की मांग को पूरा करते हुए कश्मीरी, डोगरी, उर्दू व हिंदी जैसी स्थानीय भाषाओं को भी आधिकारिक भाषाओं के रूप में जोड़ा गया है। विधायिका में अनुसूचित जनजाति के लिए सीटें आरक्षित की गई हैं, जो पहले नहीं थीं।

वास्तव में अनुच्छेद 370 अलगाववाद, आतंकवाद, भाई-भतीजावाद, भेदभाव और भ्रष्टाचार

का मूल कारण था और जम्मू-कश्मीर को अविकसित रखा। अब अनुच्छेद 370 के हटने के बाद जम्मू-कश्मीर एक नई विकास यात्रा पर आगे बढ़ रहा है। जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से लगभग 30,000 युवाओं को नौकरियां दी गई है। जम्मू-कश्मीर सरकार ने 29,295 रिक्तियां भरी है। भर्ती एजेंसियों ने 7,924 रिक्तियों का विज्ञापन दिया है और 2,504 व्यक्तियों के संबंध में परीक्षाएं आयोजित की गई है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में कई योजनाएं भी शुरू की है। अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास रहने वालों के लिए सेवाओं और शैक्षणिक संस्थानों में 3% आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने से पहले बाहरी लोगों को जमीन खरीदने का अधिकार नहीं था, लेकिन अनुच्छेद 370 हटाने के बाद अब बाहरी लोग भी जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीदते हैं। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से जम्मू कश्मीर में 188 भारी निवेशकों ने जमीन ली है। वहीं, इसी साल मार्च में जम्मू कश्मीर में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का पहला प्रोजेक्ट मिला है। यह प्रोजेक्ट संयुक्त अरब अमीरात के 'एमआर' ग्रुप का 500 करोड़ निवेश का है। इस प्रोजेक्ट के पूरे होते ही कश्मीर में 10,000 नौकरियां मिल सकेंगी।

विगत वर्ष के आंकड़ों के मुताबिक प्रधानमंत्री डेवलपमेंट पैकेज के तहत 58,477 करोड़ रुपए की लागत के 53 प्रोजेक्ट शुरू किए गए थे। यह प्रोजेक्ट्स रोड, पावर, हेल्थ, एजुकेशन, टूरिज्म, खेती और स्किल डेवलपमेंट जैसे सेक्टर में शुरू हुए थे। जम्मू कश्मीर के औद्योगिक विकास के लिए नई केंद्रीय योजना के तहत 2037 तक 28,400 करोड़ की राशि खर्च होगी। इसके तहत उद्योगों को प्रोत्साहन दिया जाएगा और औद्योगीकरण का नया अध्याय प्रारंभ होगा। यह योजना रोजगार सृजन कौशल विकास और सतत विकास पर केंद्रित होगी। निश्चित रूप से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, केंद्रीय गृह मंत्री श्री अमित शाह जी के नेतृत्व में नए भारत में हमारा जम्मू कश्मीर विकास कि ओर अग्रसर है।

(लेखक कॉर्पोरेट लॉयर हैं. प्रस्तुत विचार निजी हैं)

नए भारत का नया जम्मू कश्मीर

डॉ दिलीप अग्निहोत्री

नौ वर्ष पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत को विकसित बनाने का संकल्प लिया था. संकल्प से सिद्धि की उनकी यात्रा जारी है. विकास की इस मुख्य धारा में जम्मू-कश्मीर भी शामिल है. यह अस्थाई और अलगाववादी अनुच्छेद 370 की समाप्ति के कारण सम्भव हुआ.

जम्मू-कश्मीर में सकारात्मक बदलाव दिखाई देने लगा है। अलगाववाद का दशकों पुराना अध्याय बंद हो चुका है.उसकी जगह मुख्यधारा का प्रभाव है। केंद्र की कल्याणकारी योजनाएं इस प्रदेश को भी लाभान्वित करने लगी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने यहां आयुष्मान योजना का शुभारंभ किया था. यह चिकित्सा सुविधा मात्र नहीं है। बल्कि आयुष की सर्वे सन्तु निरामयः की कामना भी है। जम्मू-कश्मीर के लोग इससे लाभान्वित हो रहे हैं. जम्मू-कश्मीर के नागरिकों को देशभर के चौबीस हजार से अधिक अस्पतालों में पोर्टेबिलिटी के तहत बीमा की सुविधा मिल रही है.

इस प्रदेश के आमजन ने अलगाववादी अनुच्छेद 370 की समाप्ति को अपना पूरा समर्थन दिया था. यह अनुच्छेद केवल दो तीन राजनीतिक कुनबों को ही भरपूर लाभ पहुंचा रहा था। आमजन को तो इससे नुकसान ही हो रहा था। यह सच्चाई अब खुलकर सामने आई थी.

इन्हीं दो-तीन कुनबों के नुमाइंदे चीन और पाकिस्तान के सामने फरियाद कर रहे थे. किसी ने इन पर ध्यान नहीं दिया. अब ये लोग विपक्ष के इंडिया गठबंधन में विलाप करते दिखाई दिए थे. ये लोग अनुच्छेद 370 की बहाली के लिए बेकरार है। अनुच्छेद 307 की समाप्ति के बाद यहां पंचायत चुनाव हुए थे. आमजन ने भारी उत्साह दिखाया था. जम्मू-कश्मीर में उस चुनावों ने ये भी दिखाया कि हमारे देश में लोकतंत्र कितना मजबूत है। केंद्र सरकार गांवों तक विकास पहुंचा रही है। योजना से लेकर अमल और देखरेख तक पंचायती राज से जुड़े संस्थानों को

ज्यादा ताकत दी जा रही है। गरीब से जुड़ी जरूरतों को पूरा करने के लिए अब पंचायतों का दायित्व महत्वपूर्ण है। जम्मू-कश्मीर के गांव-गांव में बिजली पहुंची, यहां के गांव खुले में शौच मुक्त हो चुके हैं।

कोरोना काल में भी जम्मू-कश्मीर में करीब अट्ठारह लाख सिलेंडर रिफिल कराए थे.स्वच्छ भारत अभियान के तहत जम्मू-कश्मीर में दस लाख से ज्यादा शौचालय बनाए गए थे. जम्मू-कश्मीर में संवैधानिक सुधार के बाद पहली बार स्थानीय निकाय चुनाव हुए। इसको लेकर आशंका व्यक्त की जा रही थी। अलगाववादी गुपकर ने पहले इसके बहिष्कार का आह्वान किया था। बाद में जनता का मिजाज देखकर चुनाव में उतरे। लेकिन इनके मंसूबे पूरे नहीं हुए। केसर की घाटी में कमल खिला था। जम्मू-कश्मीर वासियों ने लोकतंत्र में अपना विश्वास जताया था। उस चुनाव में भाजपा के चौहत्तर, नेशनल कांफ्रेंस के सड़सठ, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के सत्ताईस और कांग्रेस के छब्बीस उम्मीदवार विजयी रहे थे. यह विरोधियों के लिए सबक था. लोग विकास की नीतियों पर आगे बढ़ना चाहते थे। पहले वहां हाथ में पत्थर देखे जाते थे लेकिन अनुच्छेद 370 के हटने के बाद वहां बैलेट दिखाई दे रहा था.

विकास दिखाई दे रहा है. भाजपा को इतने मत मिले थे, जो एनसी, पीडीपी और कांग्रेस के संयुक्त मतों से ज्यादा थे. पहली बार केन्द्र से पंचायतों के पास पैसा पहुंचने लगा. इससे विकास के काम हुए जिसे जनता ने महसूस कर रही है. जनता ने राज करने वालों और काज करने वालों के बीच अंतर को समझा है। लोगों ने सालों बाद केन्द्र का पैसा गांवों तक पहुंचते देखा.

राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा जम्मू-कश्मीर में निर्विघ्न सम्पन्न हुई थी. यहां तो अनुच्छेद 370 के कारण अलगाव की स्थिति थी. कांग्रेस ने इसको बनाये रखने के लिए जमीन आसमान एक कर दिया था. लेकिन वर्तमान सरकार ने इस अस्थायी अनुच्छेद को समाप्त कर इस प्रदेश को राष्ट्र की मुख्य धारा से जोड़ने का कार्य किया. इसके बाद जम्मू-कश्मीर में नया अध्याय शुरु हुआ. अलगाववादी शक्तियों को निष्प्रभावी किया गया. स्थिति को समझने के लिए सत्तर वर्ष पीछे देखने की आवश्यकता नहीं है.लेकिन यूपीए सरकार के समय को याद करना

होगा.उस समय अलगाववादी सक्रिय थे. नई दिल्ली तक उनका स्वागत होता था. सीमापार से आतंकी गतिविधियां संचालित होती थी.पाकिस्तान के इशारे पर हड़ताल होती थी.शिक्षण संस्थान बंद होते थे.घाटी तो अतिवादियों से सर्वाधिक प्रभावित थी.सुरक्षा बलों पर पत्थर होती थी. सैनिकों को ऐसी हरकतों का जबाब देने की अनुमति नहीं थी. कुछ स्थल ऐसे थे, जहां तिरंगा फहराना असंभव था. यात्रा निकालने की तो कल्पना भी सम्भव नहीं थी. राहुल की यात्रा ही यहां के बदलाव का प्रमाण बन गई. श्रीनगर में राहुल गांधी ने लाल चौक पर तिरंगा फहराया था.

शेरे-कश्मीर क्रिकेट स्टेडियम में सार्वजनिक रैली के साथ ही इस यात्रा का समापन हुआ था. समापन रैली में लगभग तेईस विपक्षी राजनीतिक दलों को आमंत्रित किया गया था. भारत जोड़ो यात्रा में फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती जैसे लोग भी हमराह हुए थे. ये अलगाववादी अनुच्छेद 370 के पैरोकार रहे हैं. जबकि इस अनुच्छेद की समाप्ति के बाद जम्मू-कश्मीर कश्मीर में शांति व्यवस्था और विकास का नया अध्याय शुरू हुआ. जम्मू-कश्मीर के उप राज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि जम्मू-कश्मीर की स्थिति में सुधार स्पष्ट दिखाई दे रहा है. वर्तमान सरकार के पहले जम्मू-कश्मीर के जो क्षेत्र पिछली सरकार में आतंकी घटनाओं के चर्चित रहते थे.वहाँ अब तिरंगा फहराया जा रहा है. पिछली सरकार के समय विश्वविद्यालयों के दीक्षान्त समारोह में राष्ट्र गान के समय विद्यार्थी बैंठे रहते थे. अब ऐसा नहीं होता. मनोज सिन्हा ने राष्ट्रगान के समय बैठे रहने वाले स्टूडेंट्स को विश्वविद्यालयों से निष्कासित करा दिया.

अमरनाथ की यात्रा में सुविधाओं का विस्तार किया जा रहा है. श्राईन बोर्ड के पास कोई भवन नहीं थे. अब भवन बन रहे हैं. तीस वर्ष के बाद जम्मू-कश्मीर में सिनेमा हॉल चलने लगे है. भारत विरोधी गतिविधियों पर प्रतिबन्ध है,और यह जारी रहेगा. जम्मू-कश्मीर के भू अभिलेख फारसी में थे. इससे विवाद होता था. पटवारी जो कहता था, वही होता था. अब हिंदी उर्दू इंग्लिश मे भू अभिलेख उपलब्ध करा दिये गये है. जनता से जुड़ी सेवाओं को ऑनलाईन कर दिया गया हैं. पहले जम्मू मे राजधानी

के कार्य स्थानांतरण हेतु सैकड़ों ट्रकों से फ़ाइल श्री नगर से जम्मू लाई जाती थी. सैकड़ों कमरों की व्यवस्था की जाती थी.अब इसकी कोई आवश्यकता नहीं हैं. नियुक्तियां पारदर्शिता तरीके से हो रहीं है. आतंकियों के करीबियों को सरकारी नौकरी से बर्खास्त किया गया. बड़ी संख्या में महिलाओं और युवाओं को स्वरोजगार से जोड़ा जा रहा है.

पहली बार त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था जम्मू-कश्मीर में प्रभावी तरीके से चल रही है. यहां की पंचायतों को सर्वाधिक अधिकार प्राप्त है. कृषि मे जम्मू-कश्मीर सातवें स्थान पर था. यह प्रदेश तीसरे स्थान पर आ गया है. कृषि में बड़ा सुधार किए जा रहे है. केंद्र के सभी कानून यहां लागू हो रहे हैं.आजादी के बाद सर्वाधिक पर्यटन जम्मू-कश्मीर आए है. य़ह आंकड़ा एक करोड़ पार कर गया हैं. जिलों में बड़े अतिक्रमण करने वालों के विरुद्ध कार्यवाही चल रही है. जम्मू-कश्मीर में सुरक्षा बलों के बीच बेहतरीन तालमेल है. आतंकी संगठनों के कमांडर मारे गए हैं. आतंकवाद के विरुद्ध सरकार जीरो टॉलरेंस के विचार से कार्य कर रही है. आतंकवाद को पूरी तरह समाप्त करने में जल्दी ही सफ़लता मिलेगी.

पहले पाकिस्तान से यहां के स्कुल बंद करने का फरमान आता था. अब ऐसा कोई सोच नहीं सकता. स्कूलों में नियमित पठन-पाठन चल रहा है. यहां के प्रत्येक नागरिक को पांच लाख रुपये का सुरक्षा कवच मिला है. शिक्षा और स्वास्थ्य का बजट केरल से ज्यादा है. जम्मू-कश्मीर में सत्तर साल में चौदह करोड़ रुपये के प्रस्ताव मिले. लगभग इतना निवेश दो वर्षों में आ गया.

जम्मू कश्मीर के तत्व ज्ञान से देश को वंचित रखा गया. मुस्लिम काल खंड से यह दौर शुरू हुआ था, आजादी के बाद सेक्युलर शासन में यह जारी रहा. इसे स्विटजरलैंड बताया गया.सीमा पार के आतंकवाद ने इस पर भी ग्रहण लगा दिया था. वर्तमान सरकार ने जम्मू-कश्मीर को राष्ट की मुख्य धारा में शामिल किया. कश्मीर के गौरवशाली हिन्दू इतिहास की लोगों को जानकारी होनी चाहिए. जम्मू-कश्मीर में भी हिन्दू दर्शन का विकास हुआ था.

(लेखक हिन्दू पीजी कॉलेज में एसोसिएट प्रोफ़ेसर हैं, प्रस्तुत विचार निजी हैं)

कश्मीर से अनुच्छेद 370 समाप्त हुए चार साल पूरे, तब से अब तक शिक्षा, रोजगार, पर्यटन, राजनीति, व्यापार सहित कई क्षेत्रों में हुए बड़े बदलाव, आया सकारात्मक सुधार

नवोदित सक्तावत

जम्मू-कश्मीर में चार साल पहले 5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने एक अभूतपूर्व फैसला लेते हुए अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया था। तबसे लेकर बीते चार सालों में जम्मू-कश्मीर में अनेक बदलाव देखे गए हैं। अब वहां आतंकी घटनाओं और भड़काऊ नारेबाजी पत्थराव जैसी घटनाएं कम हो गई है। साथ ही प्रदेश ने विकास की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद अब जम्मू-कश्मीर भी देश के बाकी राज्यों जैसा ही विकास की मुख्य धारा का अंग हो गया है। इसमें कोई संदेह नहीं है कि कश्मीर से अनुच्छेद 370 को हटाया जाना केंद्र सरकार का एक बड़ा व ऐतिहासिक कदम था। बीते 4 सालों में जम्मू कश्मीर का भौगोलिक नक्शा बदला है। निर्वाचन क्षेत्र की तस्वीर भी बदल गई है। उस ऐतिहासिक फैसले ने इस प्रदेश को मुख्यधारा से जोड़कर देश के अन्य राज्यों के बराबर लाकर खड़ा कर दिया है। अनुच्छेद 370 खत्म होने के बाद अब जम्मू-कश्मीर भी देश के बाकी राज्यों जैसा उन्नत, आर्थिक रूप से सुदृढ़ हो गया है। 5 अगस्त 2019 से पहले यहां केंद्र सरकार का कोई भी कानून लागू नहीं होता था, लेकिन अब तस्वीर पूरी तरह से बदल चुकी है। अब केंद्र के सभी कानून यहां लागू किए जाते हैं।

बंद और पथराव जैसी घटनाएं जो पहले आम थीं अब थम चुकी

हैं। शिक्षण संस्थानों को जलाए जाने की वारदात भी अब बंद हो चुकी है। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के बाद से जम्मू कश्मीर में कई बड़े बदलाव देखे गए हैं। वहां निवेश से लेकर कारोबार को बहुत बढ़ावा दिया गया है और आतंकी घटनाओं में पहले की तुलना में काफी हद तक अब कमी आई है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य का बंटवारा कर दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाया गया। जम्मू कश्मीर का अपना झंडा और अपना संविधान की व्यवस्था खत्म हो गई। इस कार्यवाही के बाद से ही विपक्ष ने एक तरह से ऐसा माहौल बनाया हुआ था कि कश्मीर में जन जीवन प्रभावित हो गया है और वहां बुनियादी सुविधाओं को लेकर अराजकता फैल गई है। विपक्ष के इन कपोल कल्पित आरोपों का सरकार ने विकास कार्य करते हुए धरातल पर ठोस जवाब दिया है। आज कश्मीर के हालात निरंतर सुधर रहे हैं और वहां के अवाम ने बरसों बाद सामान्य जन-जीवन का अनुभव

5 अगस्त 2019 को केंद्र सरकार ने एक अभूतपूर्व फैसला लेते हुए अनुच्छेद 370 को समाप्त कर दिया था। तबसे लेकर बीते चार सालों में जम्मू-कश्मीर में अनेक बदलाव देखे गए हैं। अब वहां आतंकी घटनाओं और भड़काऊ नारेबाजी पत्थराव जैसी घटनाएं कम हो गई है। साथ ही प्रदेश ने विकास की दिशा में कदम बढ़ाए हैं।

किया है।

बहुत सारे क्षेत्रों में वहां बड़ा बदलाव आया है। कई सटीक तथ्य इन बातों की पुष्टि करते हैं। लद्दाख को ही लें। सरकार ने इसे केंद्र शासित प्रदेश बनाया है। सरकार के ये सारे प्रयास कश्मीर के लोगों को मुख्यधारा में लाने की दिशा में एक कारगर कदम साबित होगा। अनुच्छेद 370 हटाए जाने के तीन दिन पहले से ही यहां सरकार ने नो-इंट्री का बोर्ड लगा दिया था, अब उसे हटा दिया गया है। इसका अर्थ हुआ कि अब पर्यटकों का इस जन्नत की सरजमीं

पर स्वागत है। सरकार ने भले ही यहां पर्यटन खोल दिया हो लेकिन मोबाइल और इंटरनेट सेवाओं पर पूरी तरह से निगरानी एवं समय-समय पर अंकुश लगाया जाना जारी है। सबसे महत्वपूर्ण बदलाव तो शिक्षा के क्षेत्र में हुआ है। यहां शैक्षणिक परिदृश्य आमूल-चूल रूप से बदल चुका है। बहुत समय नहीं बीता, पिछले साल की ही बात है, यहां पर आतंकवादी खुलेआम घूमते थे और परीक्षा होना तो दूर की बात, स्कूलों की सामान्य कक्षाएं भी नहीं लग पाती थीं। आए दिन स्कूल परिसरों में आग लगा दिए जाने की घटनाएं सामने आती थीं और चारों तरफ एक भय का माहौल बन गया था। लेकिन अब समय बदल चुका है। अनुच्छेद 370 हटाया जाना केवल एक राजनीतिक ही नहीं, बल्कि व्यापक पैमाने पर जनजीवन की भी पुर्नसरंचना है।

विपक्ष के इस बीच कई बयान सामने आए जिसमें उन्होंने कश्मीर में अराजकता का आरोप लगाया। जम्मू कश्मीर में आतंकी घटनाओं में कमी देखने को मिली है। ऐसा कहा जा सकता है कि सरकार के इस फैसले ने आतकंवाद की कमर तोड़ दी। NIA भी लगातार आतंकी ठिकानों पर छापेमारी कर उनके नेटवर्क को ध्वस्त करने में लगी हुई है। वर्ष 2018 में 58, साल 2019 में 70 और साल 2020 में 6 हुर्रियत नेता हिरासत में लिए गए। 18 हुर्रियत नेताओं से सरकारी खर्च पर मिलने वाली सुरक्षा वापस ली गई। अलगाववादियों के 82 बैंक खातों में लेनदेन पर रोक लगा दी गई। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने बुधवार यानी 26 जुलाई को राज्यसभा में एक रिपोर्ट पेश की। इसमें यह बताया गया कि जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से लगभग 30,000 युवाओं को नौकरियां दी गई है। जम्मू-कश्मीर सरकार ने 29,295 रिक्तियां भरी है। भर्ती एजेंसियों ने 7,924 रिक्तियों का विज्ञापन दिया है और 2,504 व्यक्तियों के संबंध में परीक्षाएं आयोजित की गई है। इसके अलावा केंद्र सरकार ने जम्मू-कश्मीर में कई योजनाएं भी शुरू की है। अंतरराष्ट्रीय सीमा के पास रहने वालों के लिए सेवाओं और

NIA भी लगातार आतंकी ठिकानों पर छापेमारी कर उनके नेटवर्क को ध्वस्त करने में लगी हुई है। वर्ष 2018 में 58, साल 2019 में 70 और साल 2020 में 6 हुर्रियत नेता हिरासत में लिए गए। 18 हुर्रियत नेताओं से सरकारी खर्च पर मिलने वाली सुरक्षा वापस ली गई।

शैक्षणिक संस्थानों में 3% आरक्षण का प्रावधान किया गया है।

जम्मू कश्मीर में अनुच्छेद 370 हटाने से पहले बाहरी लोगों को जमीन खरीदने का अधिकार नहीं था, लेकिन अनुच्छेद 370 हटाने के बाद अब बाहरी लोग भी जम्मू-कश्मीर में जमीन खरीदते हैं। अनुच्छेद 370 हटाने के बाद से जम्मू कश्मीर में 188 भारी निवेशकों ने जमीन ली है। जम्मू कश्मीर से धारा 370 खत्म होने के बाद यह राज्य अब विकास की राह पर चल पड़ा। 2019 के बाद से बीते 4 सालों में जम्मू कश्मीर का भौगोलिक नक्शा तो बदला ही है। जबकि बीच में के दो साल तो कोरोना महामारी की भेंट चढ़ गए। निर्वाचन क्षेत्र की तस्वीर भी बदल गई है। जम्मू और कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 के तहत जम्मू कश्मीर राज्य का बंटवारा कर दो केंद्र शासित प्रदेश जम्मू कश्मीर और लद्दाख बनाया गया। जम्मू कश्मीर का अपना झंडा और अपना संविधान की व्यवस्था खत्म हो गई।

सबसे उल्लेखनीय बात यह है कि अब जम्मू-कश्मीर से दोहरी नागरिकता को भी समाप्त कर दिया गया। आपको पता होगा कि पहले जम्मू कश्मीर विधानसभा का कार्यकाल 6 साल का होता था लेकिन अब उसे 5 साल कर दिया गया है। इतना ही नहीं, अब तो प्रदेश से विधान परिषद को भी समाप्त कर दिया गया है। अर्थात् जम्मू कश्मीर में 7 विधानसभा सीटों को बढ़ाया गया है, जिसमें से 6 सीटें जम्मू और एक सीट कश्मीर में बढ़ाई गई है। इस प्रकार अब वर्तमान में जम्मू और कश्मीर विधानसभा में कुल 90 सीटें हो गई हैं। ये सीटें पाक अधिकृत कश्मीर को शामिल किए बिना हैं। पीओके के लिए 24 सीट पहले से

तय है, जिस पर चुनाव नहीं होते हैं। जम्मू कश्मीर के लिए 26 जुलाई का दिन भी महत्वपूर्ण था। लोकसभा में जम्मू-कश्मीर अनुसूचित जनजाति आदेश संशोधन विधेयक 2030 को पारित कर दिया गया।

इसके तहत पहाड़ी समुदाय को अनुसूचित जनजाति का दर्जा मिल गया। इस बिल के तहत अब जम्मू कश्मीर की पहाड़ी, गद्दा, ब्राह्मण कोल और वाल्मीकि वर्ग को अनुसूचित जनजाति का दर्जा दिया गया। अनुच्छेद 370 हटाने जाने के इस बदलाव के बाद जम्मू क्षेत्र में 43 और कश्मीर घाटी में 47 सीटें हो गईं हैं। हैं। पहले कश्मीर घाटी में 46 और जम्मू क्षेत्र में 37 सीटें होती थी। पहली बार जम्मू कश्मीर विधानसभा में अनुसूचित जनजातियों के लिए सीट आरक्षित की गई है। एसटी के लिए 9 सीट आरक्षित की गई है। इनमें से छह जम्मू क्षेत्र में और 3 सीट कश्मीर घाटी में आरक्षित की गई है। अनुसूचित जनजाति के लिए पहले से आरक्षित 7 सीटों को बरकरार रखा गया है।

केंद्र सरकार का यह निर्णय इन अर्थों में भी महत्वपूर्ण है कि विगत समय में अमेरिकी सांसदों के दल के यहां दौरा करने की मंशा को सरकार ने खारिज कर दिया था और ईयू के सांसद यहां आए थे। इन सांसदों ने कश्मीर की डल झील में शिकारे से बोटिंग का भी आनंद उठाया और यहां की सुंदर वादियों में भ्रमण का भी मजा लिया। इन सांसदों की यात्रा पर विपक्ष के नेताओं ने जरूर तंज कसते हुए कहा कि यहां विदेशी सांसद जा सकते हैं लेकिन देश के सांसद नहीं जा सकते। सोशल मीडिया पर यूजर्स ने ऐसे कमेंट्स की तगड़ी खबर लेते हुए स्पष्ट जवाब दिया कि कश्मीर में घूमने पर किसी पर पाबंदी नहीं है, वहां घूमने जाएं, राजनीति करने नहीं। नि: संदेह, कश्मीर के हालात पटरी पर हैं। केंद्र सरकार ने कश्मीर को विकास की मुख्य धारा से जोड़ा है और आने वाले समय में अनुच्छेद 370 हटाए जाने के और सकारात्मक परिणाम नज़र आएंगे।

(लेखक स्वतंत्र टिप्पणीकार हैं. प्रस्तुत विचार निजी हैं)

Dr. Syama Prasad Mookerjee
Research Foundation

Dr. Syama Prasad Mookerjee
Research Foundation

9, Ashoka Road, New Delhi- 110001

Web :- www.spmrf.org, E-Mail: office@spmrf.org,

@spmrfoundation

Phone:011-69047014